न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 114/2022 G.C.M.S. No. 2022/212 दर्ज दिनांक : 06.10.2022

अपीलार्थिगण:

1. तेजाराम पुत्र चेलारामजी, उम्र 70 वर्ष
2. जीवाराम पुत्र चेलारामजी, उम्र 61 वर्ष
3. गमनाराम पुत्र चेलारामजी, उम्र 54 वर्ष, तमाम जातिगण सीरवी, निवासीगण बेरा सियालावाला बारला हनुमानजी के पास, बाली, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. उमाराम पुत्र हेमारामजी
2. जीवाराम पुत्र हेमारामजी
3. नथाराम पुत्र रूपारामजी
4. धनाराम पुत्र रूपारामजी
5. घीसाराम पुत्र रूपारामजी
6. भगाराम पुत्र कुपारामजी
7. रामलाल पुत्र कुपारामजी, तमाम जातिगण सीरवी, निवासीगण बेरा सियालावाला बारला हनुमानजी के पास, बाली, तहसील बाली, जिला पाली।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2018 बअनवान उमाराम वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022

पैरोकार–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 20.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2018 बअनवान उमाराम वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा ग्राम बाली, पटवार हल्का बाली, तहसील बाली के वर्तमान खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1182/1 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण (रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 5) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विरूद्ध अप्रार्थीगण (अपीलार्थीगण) एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 व 7 की सह–खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बाली के हाल खसरा नम्बर 1176, 1177 व 1178 में से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का पेश किया। प्रार्थीगण का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, बाली से मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जो जांच रिपोर्ट दिनांक 29.07.2021 को तैयार की जाकर दिनांक 10.08.2021 को पत्रावली में पेश हुई, जिस जांच रिपोर्ट पर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति जताते हुए दिनांक 01.09.2021 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा भी दिनांक 17.05.2022 को तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट पर एतराज करते हुए प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना–पत्र विस्तृत तथ्यों को उल्लेखित करते हुए पत्रावली में पेश किया गया था। उक्त आपत्तियों के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः मौके की जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से मंगवाई गई। जो जांच रिपोर्ट दिनांक 16.06.2022 को तैयार कर दिनांक 22.06.2022 को पत्रावली में पेश हुई। उक्त जांच रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 से मिलावट करते हुए अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार चाहे हुए रास्ते से भिन्न, विरोधाभाषी एक तरफा जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को फायदा पहुंचाने की नियत से तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी संख्या 1/अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1176 में से प्रार्थीगण के लिये प्रस्तावित रास्ता एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों के बंट की खातेदारी के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी खसरा नम्बर 1177, 1178 में से प्रार्थीगण के लिये वैकल्पिक रास्ता बाबत रिपोर्ट तैयार की गई है, जो किसी भी रूप से विधिपूर्ण नहीं थीं। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1/अपीलार्थीगण एवं प्रार्थीगण/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 5 की प्राथमिक आपत्तियों के बावजूद भी तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए अविधिपूर्ण रेकर्ड व मौका स्थिति के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि प्रकरण में प्रार्थीगण (रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 5) द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अपनी सह–खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1182 एकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1182/1 एकबा 0.18 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1176, 1177 व 1178 में से नये रास्ते की मांग की थीं। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 (रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 व 7) से मिलावट कर दोनों बार रेकर्ड व मौकास्थिति के विपरित जाकर एकतरफा जांच रिपोर्ट पत्रावली में पेश की गई हैं। जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पूर्णतया विरोधाभाषी है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्टों के अनुसार यह किसी भी रूप से स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित रास्ता व वैकल्पिक रास्ता की दूरिया प्रार्थीगण/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 5 के लिये कितनी दूरी पर आया हुआ स्थित है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित रास्ता को नजदीकतम बताना और वैकल्पिक रास्ता को दूर बताना किसी भी रूप से सुसंगत तथ्य नहीं हैं। प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार जतनो बाई पत्नि चेलारामजी जो अपीलार्थीगण की माताजी है। जिनकी मृत्यु दिनांक 19.09.2019 को हो चुकी थीं। जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई विधिपूर्ण कार्यवाही नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो प्रथमदृष्टया ही विधि की परिभाषा में शून्य है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन निर्णय अविधिपूर्ण होने से काबिले खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध ग्राम बाली में स्थित अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1182 एवं 1182/1 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2022 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 1176 व 1182/1 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1182 रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 तथा खसरा संख्या 1182/1 रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 1176 अपीलांट एवं जतनोबाई पत्नि चेला के नाम दर्ज है। जतनोबाई पत्नि चेलाराम को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित किए बिना खसरा संख्या 1176 में रास्ता स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1182 तथा 1182/1 के खातेदार पृथक–पृथक होने के बावजूद दोनों खसरान के खातेदारान द्वारा एक साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा खसरा संख्या 1182/1 में से रास्ता भी स्वीकृत किया गया है। खसरा संख्या 1176 आगे खसरा संख्या 1174 से मिलता है। जिसकी किस्म गैर मुमकिन सड़ा है। जोकि आगे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 1173 गैर मुमकिन कुआं व खसरा संख्या 1172 गैर मुमकिन आबादी से मिलता है। खसरा संख्या 1182 व 1182/1 से निकटतम अभिलिखित रास्ता 1166 है।

3. प्रकरण में भू.अ.नि. बाली द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही किसी भी पक्षकार को सूचित किए जाने बाबत कोई टिप्पणी अंकित की गई हैं। भू.अ.नि. बाली द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में खसरा संख्या 1176 की सीमा के सहारे खसरा संख्या 1182/1 की पश्चिम सीमा के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा अन्य विकल्प के रूप में खसरा संख्या 1178 व 1182/1 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। भू.अ.नि. द्वारा अपनी रिपोर्ट में दोनों विकल्पों की लंबाई अंकित नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में निकटतम दूरी के विकल्प का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हैं।

4. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा धारा 251–क के प्रकरणों में प्रदत्त दिशा–निर्देश अनुसार संबंधित जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व समस्त प्रभावित खातेदारान को सूचित किया जाना आज्ञापक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव पाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 251–क के अंतर्गत निकटतम दूरी व न्यूनतम रकबा का रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। इसके लिए जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार करते समय सभी प्रस्तावित विकल्प प्रस्तावित किये जाने चाहिए तथा जिनकी लंबाई, चौडाई व कुल रकबा भी अंकित किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय निकटतम दूरी के विकल्प का रास्ता स्वीकृत कर सकें। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया।

1. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ विधिनुरूप पुनर्निर्णयन के लिए अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2018 बअनवान उमाराम वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है, कि वे दिनांक 25.07.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **20.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner